



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19032026-271060  
CG-UP-E-19032026-271060

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 1339]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

का.आ. 1404(अ).— केन्द्रीय सरकार, समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा महानिदेशक, नौचालन सहायता को पोत यातायात सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है।

[फा.सं. एलएच-11011/2/2012-एसएल]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2026

S.O. 1404(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), the Central Government hereby appoints Director General of Aids to Navigation as the Competent Authority for Vessel Traffic Services.

[F. No- LH-11011/2/2012-SL]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.